



उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 25.06.2021

थाना फतेहपुर चौरासी, जनपद उन्नाव

अवैध असलहे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व क्षेत्राधिकारी महोदया सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.06.2021 को सोशल मीडिया पर वायरल वाडियो में अवैध शस्त्र के साथ दिख रहे व्यक्ति को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से अदद अवैध अद्धी देशी 12 बोर मय जिंदा कारतूस बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 22.06.2021 को ग्राम देवीखेड़ा में कल्लू की पुत्री के विवाह कार्यक्रम में एक व्यक्ति का अवैध असलहे के साथ वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो संज्ञान लेते हुए व्यक्ति को चिन्हित किया गया जिसमें उसकी पहचान कमलेश पुत्र स्व० रामचन्द्र कुशवाहा नि० देवीखेड़ा थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव के रूप में हुई। अभियुक्त कमलेश उपरोक्त को आज दिनांक 25.06.2021 को डाक बंगला तिराहे के पास से 01 अदद अवैध अद्धी देशी 12 बोर मय जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। असलहा बरामदगी के संबन्ध में थाना फतेहपुर चौरासी पर मु०अ०सं० 213/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. कमलेश पुत्र स्व० रामचन्द्र कुशवाहा नि० देवीखेड़ा थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद अवैध अद्धी देशी 12 बोर मय जिंदा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ०नि० श्रीराम तिवारी
2. हे०का० उपेन्द्र पटेल



उन्नाव पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 25.06.2021

थाना पुरवा, जनपद उन्नाव

बच्ची की हत्या करने वाला पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पुरवा पुलिस व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा बच्ची की गुमशुदगी का खुलासा करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त को एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय एक जिंदा व तीन खोखा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 20.06.21 को आवेदिका पुष्पा पुत्र अशोक कुमार निवासी रग्घूखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया कि मेरी पुत्री नाइसी उम्री लगभग 10 वर्ष को विपक्षीगणों द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गये है। इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 200/21 धारा 363,366 भा.द.वि बनाम 1. बबलू पुत्र परसादी 2. परसादी पुत्र महादेव निवासीगण सैय्यद अब्बासपुर कोतवाली उन्नाव 3. सादू रामविलास निवासी मुंशीगंज माखी उन्नाव पंजीकृत किया गया था। दिनांक 25.06.2021 को मुखबिर द्वारा बताया गया कि जिस दिन से नैन्सी गायब है उसी दिन से गाँव का नीरज गौमत पुत्र गुरुबक्श निवासी उपरोक्त भी गायब है और वह आज मंगतखेड़ा से कही जाने की फिराक में है। इस सूचना पर विश्वास करके नीरज गौतम उपरोक्त को मंगतखेड़ा चौराहे से समय करीब 01.00 रात्रि गिरफ्तार किया गया जिससे पूछताछ की गयी तो टाल मटोल करने लगा जब कड़ाई से पूछताछ की गयी तो घटना का इकबाल किया तथा अभियुक्त की निशांदाही पर ग्राम रग्घूखेड़ा में काली माता मन्दिर के पीछे से एक कुएं के अन्दर से अपर्हता कु0 नाइसी का शव बरामद कराया। तथा घटना के दिन पहने कपड़े के सम्बन्ध में पूछा गया तो उसने बताया कि उस दिन के पहने कपड़े मैंने यहां से थोड़ी दूर पर रखा है वहां जाने पर कपड़े उताने के धोखे में अभियुक्त द्वारा कपड़े में लिपटे तमंचे को निकाल कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर भागने लगा तथा भागते समय लगातार फायर करने लगा। जवाबी कार्यवाही में पुलिस पार्टी द्वारा फायर किये जाने पर नीरज उपरोक्त के दोनो पैरों में गोली लग गयी और वह मौके पर गिर गया। जिसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर तथा एक जिन्दा कारतूस तथा तीन खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। घायल अभियुक्त को सीएचसी पुरवा लाया गया जहां डाक्टर ने उसे जिला अस्पताल रिफर कर दिया। जहां उसका इलाज चल रहा है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 200/21 धारा-363/366 भा.द.वि में धारा-302/201/354 भा.द.वि व 7/8 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा मु0अ0स0 204/21 धारा 307 भा.द.वि बनाम नीरज गौतम पुत्र गुरुबक्श

निवासी पकरा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव हाल पता रग्घूखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव व मु0अ0स0 205/21 धारा 3/25 ए एक्ट बनाम नीरज गौतम पुत्र गुरुबक्श निवासी पकरा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव हाल पता रग्घूखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नीरज गौतम पुत्र गुरुबक्श निवासी पकरा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव हाल पता रग्घूखेड़ा थाना पुरवा जनपद उन्नाव उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

एक अदद तमंचा 315 बोर , 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 3 अदद खोखा कारतूस 315 बोर एक अदद मोबाईल फोन (जो अभियुक्त द्वारा प्रयोग किया जाता है।)
दो डब्बो में अभियुक्त के कपड़े (जो घटना के समय अभि0 ने पहना था)

आपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 200/21 धारा 302,201,363,366,354 IPC व 7/8 POSCO ACT
मु0अ0स0 204/21 धारा 307 IPC
मु0अ0स0 205/21 धारा 3/25 ए एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

प्र0नि0 श्री अजय कुमार त्रिपाठी (थाना पुरवा)
प्र0नि0 श्री राजू राव थाना (असोहा)
उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह (थाना पुरवा)
उ0नि0 श्री थान सिंह (थाना पुरवा)
उ0नि0 श्री सर्वेश कुमार राणा (थाना असोहा)
हे0का0 अशोक कुमार सरोज (थाना पुरवा)
हे0का0 घनश्याम सरोज (थाना पुरवा)
का0 अमित चहल (थाना असोहा)

एस0ओ0जी0/सर्विलान्स टीम-

उ0नि0 श्री गौरव कुमार (एस0ओ0जी0/सर्विलान्स प्रभारी)
हे0का0 अब्दुल जब्बार (सर्विलान्स)
हे0का0 खैरूल बसर (एस0ओ0जी0)
हे0का0 शमीम खान (एस0ओ0जी0)
हे0का0 रोहित शर्मा (एस0ओ0जी0)
का0 राधेश्याम (सर्विलान्स)
का0 अमर सिंह (एस0ओ0जी0)